बिहार सरकार

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर

पूर्णकालिन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ़ / सुखाड) की स्थिति में वितीय वर्ष 2019–20 में बक्सर जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में प्रभावित पशुओं के लिए सुखा चारा (गेहूँ का भूसा / नेवारी /कुटटी) तथा चुन्नी एवं चोकर कय के लिए दर एवं आपूर्तिकर्ता के निर्धारण हेतु सीलबन्द दों लिफाफों में निविदा ली जायेगी। एक लिफाफा में तकनीकी एवं दूसरे लिफाफा में वितीय निविदा रहेगा। दोनो लिफाफा एक बड़े लिफाफा में बन्द होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का हीं वित्तीय निविदा खोला जाएगा। निविदा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15वें (पन्द्रहवें) दिन तक (प्रकाशन तिथि सहित) संध्या **05.00** बजे तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्यदिवस को निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी प्राप्त निविदा खोलने का कार्य किया जा सकेगा। सूखा चारा यथा (गेहूँ का भूसा / नेवारी /कुटटी) तथा चुन्नी एवं चोकर का कय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा हीं दिया जाएगा एवं भुगतान भी उन्हीं के स्तर से किया जाएगा।

निविदा की तकनीकी शर्ते :–

1. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में **05,000.00 (पाँच हजार)** रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के पक्ष में) जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सूखा चारा यथा (गेहूँ का भूसा / नेवारी /कुटटी) तथा चुन्नी एवं चोकर का अलग–अलग **200–200 ग्राम** नमूना के रूप में पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में सील बंद कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को निविदा के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर आई0डी0 कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को बिहार या बिहार से बाहर काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं निविदा के सारे शर्त मंजूर होने तथा किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लम्बित न होने सम्बन्धित शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निविदा में सुखा चारा यथा गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी (पुआल / नेवारी) तथा चुन्नी एवं चोकर का प्रति क्विंटल दर (आपूर्ति आदेश में अंकित स्थान तक पहुँचाने का परिवहन लागत सहित) अंकित रहना अनिवार्य है। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा।
2. आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा यथा (गेहूँ का भूसा / नेवारी /कुटटी) तथा चुन्नी एवं चोकर निविदा के साथ जमा किए गए नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
3. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात अविलम्ब पशु चारा यथा (गेहूँ का भूसा / नेवारी /कुटटी) तथा चुन्नी एवं चोकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगे। आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण/एक वर्ष (दोनो में से जो पहले हो)तक के लिए प्रभावी मानी जायेगी।
5. आपूर्ति आदेश के अनुसार सूखा चारा यथा (गेहूँ का भूसा / नेवारी /कुटटी) तथा चुन्नी एवं चोकर की आपूर्ति करने की सूचना पूर्व में दे देनी होगी।
6. एक से अधिक निविदादाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता / आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा की सूचना के लिए वेवसाईट **ahd.bih.nic.in/ buxar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, बक्सर से प्राप्त की जा सकती है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
27.6.19 बक्सर।